eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा की प्रासंगिकता

[1]राजेन्द्र कुमार सिंह
[2]डॉ0 शिवम श्रीवास्तव
[1]प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र विभाग, किसान पी.जी. कालेज, बहराइच।
[2]सहायक प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र विभाग, किसान पी.जी. कालेज, बहराइच।

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

शिक्षा मनुष्य के जीवन का महत्त्वपूर्ण लक्ष्य होने के साथ–साथ वाँछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का एक उपयोगी साधन भी है। इसके द्वारा भी व्यक्ति एवं समाज का सर्वांगीण विकास सम्भव है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं बुद्धि का विकास कर उसे आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का सम्पन्न करने योग्य बनाती है। शिक्षा को एक ऐसे उपकरण के रूप में भी मान्यता दी गयी है, जिसकी सहायता से समाज में परिवर्तन व विकास के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि मानव अधिकारों के सार्वजनिक घोषणापत्र में शिक्षा को प्रत्येक मनुष्य के मूल अधिकारों में से एक माना गया है। किसी भी राष्ट्र को उन्नति पथ पर आगे ले जाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को उन्नतिशील बनाता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि जिस शिक्षा को ग्रहण कर मनुष्य स्वयं का, राष्ट्र का और समाज का उत्थान करे तथा इसके माध्यम से जीविकोपार्जन करे, इसी में शिक्षा की सार्थकता है। बात जब महिला शिक्षा की आती है तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस विषय में वाँछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना अभी शेष है।

शब्द संक्षेप– वर्तमान शिक्षा, समाज में परिवर्तन व विकास एवं स्त्री शिक्षा की प्रासंगिकता।

Introduction

किसी देश की सभ्यता–संस्कृति एवं विकास की दशा एवं दिशा का अनुमान उस देश की नारी की स्थिति से लगाया जा सकता है। भारतीय समाज में नारी की स्थिति हमेशा सम्मानजनक रही है। उसे सदैव ही शक्ति, सम्पत्ति एवं ज्ञान का प्रतीक स्वीकार करके दुर्गा, लक्ष्मी एवं सरस्वती के रूप में पूजा जाता रहा है। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार नारी को अर्द्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया गया है। आज के समय में स्त्री शिक्षा की बहुत ही महती आवश्यकता है। बिना स्त्री को शिक्षित किये समाज की प्रगति सम्भव नहीं है क्योंकि कहा भी गया है कि स्त्री और पुरुष समाज रूपी रथ के दो पहियों के समान हैं। तब हम एक की शिक्षा की अवहेलना कैसे कर सकते हैं। नारी के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समानता की भावना किसी भी समाज को उन्नति के पथ पर ले जा सकती है। आज लगभग सभी देशों में स्त्रियों को पुरुषों के समान पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्तरदायित्व वहन करना पड़ता है। इस दृष्टि से यदि हम भारत में प्रजातन्त्र को सफल एवं प्रभावोत्पादक बनाना चाहते हैं तो स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान देना नितान्त आवश्यक है। हमारे देश में प्राचीन काल से नारी को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता रहा है। उस समय समाज में यह भावना व्याप्त

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

थी कि **''जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है।''** आज पढ़ी–लिखी स्त्रियाँ किसी भी उन्नत समाज के लिए गौरव व गर्व की पात्र हो सकती हैं। स्त्रियाँ भावी समाज की निर्माता हैं। शिक्षित स्त्रियों के महत्व को स्पष्ट करते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है– **''मुझे सौ सुशिक्षित माताएं दो, मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूँगा।''** इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने सन् 1963 में वनस्थली विद्यापीठ में अपने भाषण में कहा था–**''एक लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, किन्तु एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है।''** अतः यह स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उसकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना राष्ट्र का परम कर्त्तव्य है।

प्राचीन वैदिक काल में हमारे यहाँ घोषा, लोपा, मुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, उर्वशी तथा अपाला आदि विदुषी महिलाएं थीं। उसके बाद बौद्ध काल में सुभा, अनुपमा, विजयंका, संघमित्रा आदि प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। मध्यकालीन भारत में पर्दाप्रथा तथा अन्य कई प्रकार के सामाजिक अस्थिरता के कारण स्त्री शिक्षा का बड़ा ही ह्रास हुआ। लेकिन फिर भी रजिया सुल्ताना, गुलबदन, नूरजहाँ, जीजाबाई तथा अहिल्याबाई जैसी विदुषी स्त्रियाँ हुईं।

स्त्री शिक्षा की आवश्यकता :– जैसा कि कहा भी गया है कि **''घर बच्चों की शिक्षा की प्रथम पाठशाला है और उसकी माँ प्रथम शिक्षिका।''** जन्म के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में बालक की हर गतिविधि पर माँ का ही नियन्त्रण होता है। सन् 1948 में राधाकृष्णन आयोग ने कहा है कि **''शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि स्त्री पुरुष में से किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान हो तो यह अवसर स्त्रियों को देना चाहिए क्योंकि तभी वह शिक्षा अपने आप अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जायेगी।''** घर वैसा ही होता है जैसा उसे गृहणी बनाती है और बच्चे वैसे होते हैं, जैसा उन्हें माँ बनाती है। स्त्री की यह भूमिका महत्वपूर्ण है और सामान्यतः हर स्त्री को यह भूमिका निभानी ही है। इसी लिए स्त्रियों की शिक्षा महत्वपूर्ण है। शत्पथ ब्राह्मण में कहा गया है कि **''मातृमान् पितृमानाचार्यवान पुरुषो वेदो''** अर्थात माता–पिता और आचार्य जब ये तीन उत्तम शिक्षक होते हैं तभी मनुष्य ज्ञानवान होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया है कि **''मातृ देवो भवः''** अर्थात् माता को देवता के समान मानें। इसी प्रकार मनुस्मृति में कहा गया है कि–**''उपाध्यायान दशाचार्याः आचार्याणां शत् पिता। सहस्रं तु पितृतं माता गौरवेणातिरिच्यते।।''** अर्थात उपाध्याय (उपनयन संस्कार के समय गायत्री मन्त्र देने वाले) से दस गुनी महत्ता आयार्य की है। (क्योंकि वह विद्या देता है) सौ आचार्यों के समान महत्ता पिता है और हजार पिताओं से बढ़कर महत्ता माता की है। इसलिए स्त्री शिक्षा की बहुत ही महती आवश्यकता है क्योंकि स्त्री को अपने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। जब वह पैदा होती है, तब किसी की बेटी तथा किसी की बहन होती है। आगे चल कर जब उसकी शादी होती है तब वह एक नये परिवेश मे पहुँचती है, जहाँ पर उसके लिए सभी कुछ नया होता है, वहाँ पर उसे एक आदर्श बहू, तथा एक आदर्श माता के रूप में अपना योगदान देना पड़ता है। इसलिए भी स्त्री शिक्षा आवश्यक है। जिससे हम समाज को आदर्श बहुएं, कुशल गृहणी तथा आदर्श माताएं दे सकते हैं। जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। यह हमारी अशिक्षा की वजह से ही है कि हर अशिक्षित नारी अपनी समस्या समाधान हेतु कोई उपाय नहीं सोच पाती तथा उसी में उलझ कर अपने आपको असहाय समझकर अपनी स्थिति पर रोती रहती है। उनके

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

लिए समाज में उचित शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। महर्षि कर्वे ने कहा है कि **''राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए तमाम नारियों का शिक्षित होना आवश्यक है।''**

हमारा देश भारत प्रजातान्त्रिक देश है और प्रजातन्त्र की सफलता हेतु स्त्री शिक्षा आवश्यक है। हर स्त्री समाज और देश के प्रति अपने कर्त्तव्य भावना एवं आवश्कता को समझ सके। वे अपने मताधिकारों का वैधानिक रूप से प्रयोग कर सकें। इसके लिए स्त्रियों का शिक्षित होना अपरिहार्य है। हम किसी भी दृष्टिकोण से देखें, नारी का शिक्षित होना अनिवार्य है। इतिहास गवाह कि जब–जब हमने स्त्रियों की शिक्षा का अनादर किया है तब–तब देश का पतन हुआ है और जब–जब इसके विकास के लिए प्रयत्न किया गया है, तब–तब देश का उत्थान हुआ है। स्त्रियों की शिक्षा के महत्त्व के बारे में महान सेनानायक नेपोलियन का कथन है कि **''बालक का भावी भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्मित किया जाता है।''** इसी विचार को अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन ने कहा है कि **''मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ होने की आशा करता हूँ, उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ।''** शिक्षित नारी ही अपने परिवार, समाज तथा देश के गौरव का ऊँचा उठाती है, अतः देश की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज स्त्रियों के मानवीय अधिकारों तथा समाजों एवं राष्ट्रों के विकास दोनों ही सन्दर्भों में स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार किया जाने लगा है। यही कारण है कि शिक्षा नीतियों में महिलाओं एवं लड़कियों की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में न केवल स्त्रियों के लिए शैक्षिक अवसरों की समस्या की चर्चा की गयी। बल्कि साथ ही शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी उठाया गया।

स्त्री शिक्षा सम्बन्धी सुझाव :– किसी भी समाज व राष्ट्र का विकास तभी सम्भव है जब उस समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार व अवसर प्राप्त हों। इन अधिकारों व अवसरों की कानूनी व सैद्धान्तिक मान्यता के साथ–साथ समाजों में व्यवहारिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ गरीबी और अशिक्षा एक भयंकर समस्या है, वहाँ स्त्रियों की शिक्षा का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। शिक्षा द्वारा ही महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता हेतु जानकारी ज्ञान व कुशलता उपलब्ध कराया जा सकता है। महिलाओं के कानूनी ज्ञान का विकास तथा स्वयं के अधिकारों सम्बन्धी सूचनाओं तथा उनकी पहुँच को सुनिश्चित करना तथा सामाजिक, आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से उनकी सहभागिता मे वृद्धि करना, यह सब कार्य शिक्षा के द्वारा ही सम्भव हैं। जब शिक्षा द्वारा महिलाओं को साक्षर बनाकर उनके कर्त्तव्यों और अधिकारों के बारे में जागरुक किया जायेगा तब स्त्रियाँ अपने कल्याण के लिए दूसरे पर आश्रित न होकर स्वयं समर्थ होंगी। इस हेतु महिलाओं को शैक्षिक रूप से सुदृढ़ करना होगा। साक्षरता दर व विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर उनकी स्थिति को निरन्तर उन्नत करना होगा। शिक्षा में लैंगिक असमानता को समाप्त करने हेतु प्रयासरत रहना होगा तथा प्राथमिक शिक्षा पर और अधिक ध्यान देना होगा। हमारी सरकारों द्वारा जो भी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, उनका पूरी निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक संचालन करना होगा। तभी हम स्त्री शिक्षा को सुदृढ़ बना सकते हैं। हमारा सुझाव है कि स्त्रियों के जिस गरिमामय रूप को हमारे आदि ग्रन्थों में वर्णित किया गया है, उसे हम अपने आज के समाज में व्यवहारिक रूप दें। सभी बालिकाओं को अनिवार्य रूप से विद्यालयी एवं व्यवसायिक शिक्षा सरलता

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

एवं सुगमता से उपलब्ध करायी जाये। पुरुषों के बराबर खड़ा करने के लिए स्त्रियों को अधिक से अधिक अवसर दिये जायें। पुरुषों का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में समानता का भाव व्यवहारिक रूप से मनसा, वाचा, कर्मणा हो। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार किये जायें और उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाये तथा उनका ईमानदारी पूर्वक पालन किया जाये। तभी हम वाँछित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।

संदर्भ–

1. श्रीवास्तव शिवम, शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि : एक अध्ययन। ''द ओपिनियन''– अन्तर्राष्ट्रीय शोध जर्नल, जनवरी–जून 2014
2. आप्टे वी0एम0, (1939–1954) सोषल एण्ड रिलीजियश लाइफ इन द गृह्य सूत्राज, द पापुलर बुक डिपो, सैमिंटन रोड, बाम्बे।
3. चौधरी कैलाश प्रसाद (2008) वोमेन एम्पावरमेण्ट : एन आउटलुक, वोमेन एम्पावरमेण्ट, द सब्सटेन्सियल चैलेन्जेज, एडिटेड बाइ जसप्रीत कौर सोनी, ऑथर प्रेस, दिल्ली।
4. दूबे श्यामा चरण, (2001) भारतीय समाज – स्त्री–पुरुष सम्बन्ध, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली।
5. द्विवेदी पूनम, (2007) महिला सशक्तिकरण और वर्तमान कानून, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली।
6. तोमर डॉ0 प्रियंका (2006) इण्डियन वोमेन, श्री पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।